INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF HUMANITIES AND INTERDISCIPLINARY STUDIES
(Peer-reviewed, Refereed, Indexed & Open Access Journal)
DOI : 03.2021-11278686 ISSN : 2582-8568 IMPACT FACTOR : 5.71 (SJIF 2021)

मुस्लिम समुदाय में पारिवारिक हिंसा के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन

डॉ. मुहम्मद मुस्तकीम

असि. प्रोफेसर,
शिक्षक शिक्षा विभाग,
हलीम मुस्लिम पी.जी. कालेज, कानपुर।
E-mail: mmhmpg2010@gmail.com

DOI No. 03.2021-11278686 **DOI Link ::** https://doi-ds.org/doilink/11.2021-15812354/IRJHIS2111008

सारांश :

प्रस्तुत शोध का प्रमुख उद्देश्य मुस्लिम समुदाय में महिलाओं के साथ होने वाली पारिवारिक हिंसा के विभिन्न स्वरूपों को ज्ञात करना है जिसके अन्तर्गत शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा, आर्थिक हिंसा, आध्यात्मिक हिंसा आदि को आधार माना गया है। जिसके लिए शोधार्थी ने कानपुर नगर की 200 मुस्लिम महिलाओं का चयन सौउद्देश्य न्यादर्शन प्रणाली के आधार पर किया है। परिणामों में पाया गया कि मुस्लिम समुदाय में अधिकांशतः महिलाओं के साथ शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, लैंगिक तथा आध्यात्मिक हिंसा होती है।

***की वर्ड** : मुस्लिम महिलाएं, पारिवारिक हिंसा के विभिन्न स्वरूप*

प्रस्तावना :

महिलाओं के विरुद्ध पारिवारिक हिंसा कोई नई घटना नहीं है महिलाएं प्राचीन काल से लेकर आज तक घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है। भारतीय समाज में महिलाएं किसी वर्ग, धर्म व जाति की हों, वह लम्बे समय से अवमानना, यातनाएं तथा शोषण का शिकार हो रही हैं। कभी महिलाओं को उपभोग की वस्तु समझा गया, तो कभी सती के नाम पर जलाया गया, ओर कभी तलाक और हलाला के नाम पर उनका शोषण किया गया, तो कभी देवदासी प्रथा व नियोग प्रथा के नाम पर महिलाओं का शोषण किया। यह सब धर्म की आड में सदियों से महिलाओं के साथ यह शोषण किया जाता रहा है।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो महिलाओं की स्वतंत्रता के आड़ में उसका उत्पीड़न किया जा रहा है। आज महिलाओं के साथ ह्रदय विदारक घटनाए हो रही है, कभी पत्नी को तंदूर में जला दिया जाता है तो कभी उनकी जघन्य तरीके से हत्या कर दी जाती है, तो कभी बस में किशोरी के साथ गैंगरेप किया जाता है, और कहीं वह घर में अपनों का ही शिकार हो जाती है। आज महिलाओं का सुरक्षित रूप से सड़क पर चलना

मुश्किल है हर पल उनके साथ कहीं न कहीं घटनाएं होती रहती है ।

आमतौर पर पारिवारिक हिंसा पति पत्नी के बीच का मामला समझा जाता है और इसमें आम लोगों की कोई दिलचस्पी नहीं होती है, समाज में यह विरूपता है जो हर समाज और राष्ट्र को हानि पहुंचाती है। महिलाओं की यह मजबूरी है कि परिवार में उसके साथ अत्याचार व शोषण होता रहता है और साथ ही हिंसा का व्यवहार होने के बावजूद भी वह आर्थिक,सामाजिक कारणों से, बच्चों के प्रति दायित्वों, सम्मान तथा सामाजिक निंदा से बचने आदि कारणों के चलते वह सब कुछ सहती रहती है। समाज के लोग उसे सहिष्णुता होने का उपदेश देते रहते हैं। उसे बचपन से ही कहा जाता है कि वह पराया धन है और उससे कहा जाता है कि पति के घर में डोली में बैठ कर आई थी अब यहां से उसकी अर्थी ही उठेगी। कभी कभी तो उसके अपने पिता के घर पर ही उसके साथ भेदभाव किया जाता है ओर वह बेचारी ज़हर का घूंट पीकर एक जिंदा लाश बन जाती है।

वर्तमान में महिलाओं पर अत्याचार एक शर्मनाक तथा ज्वलंत मुद्दा है महिलाओं के प्रति हिंसा उसके शरीर पर चोट ही नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा पर चोट है और यह उसके अस्तित्व को समाप्त कर देती है। महिलाओं के प्रति हिंसा हमारे समाज में कई रूपों में देखने को मिलती है। जैसे कि बाल विवाह, ससुराल में उसके साथ मारपीट व पति के द्वारा हिंसा, दैनिक जीवन में छेड़छाड,वैश्यावृति, ऑनरकिलिंग, शारीरिक, मानसिक व यौनिक हिंसा आदि लेकिन अक्सर हिंसा की यह घटनाएं मूक स्तरों पर ही सामने आती हैं।

दलाल और लिंडक्वस्ट (2010) ने अपने अध्ययन में पाया है कि भारत में महिलाओं के साथ 14 प्रतिशत भावात्मक हिंसा, 31 प्रतिशत शारीरिक हिंसा, 10 प्रतिशत सीवियर फिजीकल वायलेंस और 8 प्रतिशत यौनिक हिंसा होती है।एक अन्य अध्ययन में ***गुप्ता और गुप्ता (2011)*** ने यह निष्कर्ष पाया था कि देश में 39 प्रतिशत महिलाएं पारिवारिक हिंसा का शिकार हुई है जबकि 37 प्रतिशत महिलाओं ने मनोवैज्ञानिक हिंसा तथा 14 प्रतिशत ने शारीरिक और यौनिक हिंसा के संकेत दिए है।

भारतीय समाज पुरुष प्रधान होना, नारियों को समाज में नीचा दिखाने की प्रवृत्ति जैसी कुप्रथाओं या फिर जिस तरीके से हमारे प्रचार माध्यमों ने महिलाओं को जिस तरह से प्रदर्शित किया है जैसे कि वह एक नुमाइश की वस्तु या भोग विलास की वस्तु हो।

जहां तक मुस्लिम समुदाय में पारिवारिक हिंसा का प्रश्न है तो इस समाज में भी अन्य समुदाय की भांति उसका शोषण होता है, यहां पर भी पुरुष प्रधान समाज होने के कारण, महिला को दोयम दर्जे का समझा जाता है । पति या उसके परिवार के द्वारा उसे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक आदि रूप से प्रताड़ित किया जाता है। बात बात पर तलाक और दूसरा विवाह करने की धमकी दी जाती है। ***भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन*** (2015) ने देश में 4710 मुस्लिम महिलाओं पर एक सर्वे किया था सर्वे के अनुसार 53.2 प्रतिशत महिलाओं ने माना था कि वह घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। और 83.3 प्रतिशत माना था कि यदि मुस्लिम कानून लागू हो, तो पारिवारिक समस्याएं कम हो सकतीहै। कुरआन में महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार व दया करने का आदेश दिया गया है। और पति पत्नी को आपस में सम्मान के साथ रहने की बात कही गई है। एक हदीस में नबी करीम (स० अ० व०) ने फरमाया है "तुम में से वही बेहतर है, जिसका महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार है "कुरआन में वर्णित है "और मुस्लिम महिलाएं और पुरुष एक दूसरे के मित्र है।"(कुरआन 9:71)। इस्लाम

में महिलाओं पर हिंसा व अत्याचार को मना किया गया है,फिर भी मुस्लिम समाज में उनका शोषण व अत्याचार हो रहा है।

शोधार्थी ने प्रस्तावित अध्ययन मुस्लिम महिलाओं पर पारिवारिक हिंसा से हो रहे शोषण व उत्पीड़न के विभिन्न स्वरूपों को ज्ञात करने हेतु किया है, जो न केवल सामाजिक समरूपता के संदर्भ में वरन राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी महत्ता को प्रस्तुत करेगा।

अध्ययन के उद्देश्य :–

प्रस्तुत शोध अध्ययन के अन्तर्गत मुस्लिम समुदाय में महिलाओं के साथ होने वाली पारिवारिक हिंसा के विभिन्न स्वरूपों को ज्ञात करना ।

अध्ययन की परिकल्पनाएं :– अध्ययन की परिकल्पनाएं निम्नवत हैं –

1. मुस्लिम महिलाओं के साथ पारिवारिक हिंसा होने की संभावना है ।
2. मुस्लिम महिलाओं के साथ शारीरिक हिंसा होने की संभावना है ।
3. मुस्लिम महिलाओं के साथ मानसिक हिंसा होने की संभावना है ।
4. मुस्लिम महिलाओं के साथ आर्थिक हिंसा होने की संभावना है ।
5. मुस्लिम महिलाओं के साथ आध्यात्मिक हिंसा होने की संभावना है ।

अध्ययन की शोध विधिः–

प्रस्तुत शोध हेतु प्रदत्त संकलन के लिए कानपुर शहर के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों से 200 महिलाओं का चयन किया है। न्यायदर्शों का चुनाव सोउद्देश्य न्यायदर्शन पद्धति पर किया गया है। प्राथमिक आंकड़ों का संकलन हेतु स्वनिर्मित प्रश्नावली अनुसूची का प्रयोग किया गया है।

आंकड़ों की व्याख्या एवं विश्लेषण :

तालिका सं० 1

मुस्लिम महिलाओं के साथ होने वाली पारिवारिक हिंसा

पारिवारिक हिंसा	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
हाँ	126	63
नहीं	62	31
कोई उत्तर नहीं	12	06
योग	**200**	**100**

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता हैकि 63 प्रतिशत मुस्लिम महिलाओं ने माना है, कि उनके साथ पारिवारिक हिंसा होती है और 62 प्रतिशत महिलाओं ने माना है, कि उनके साथ किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती है, जबकि 6 प्रतिशत महिलाओं ने कोई उत्तर नहीं दिया। इससे ज्ञात होता है कि मुस्लिम समुदाय में महिलाओं के साथ पारिवारिक हिंसा हो रही है।

तालिका सं० 2

मुस्लिम महिलाओं के साथ होने वाली शारीरिक हिंसा के विभिन्न स्वरूप

शारीरिक हिंसा के स्वरूप	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
साधारण मार पीट	55	27.5
किसी वस्तु को फेंक कर मरना या वस्तु से मरना	23	11.5
अन्य तरीकों से	11	5.5
किसी तरह से नहीं	67	33.5
कोई उत्तर नहीं	44	22.0
योग	200	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि मुस्लिम महिलाओं के साथ साधारण मारपीट का प्रतिशत 27 सर्वाधिक है और 11.5 प्रतिशत किसी वस्तु से तथा 5.5 प्रतिशत अन्य तरीकों से महिलाओं को उत्पीड़ित किया जाता है। जबकि 33.5 प्रतिशत महिलाओं ने किसी भी तरह की शारीरिक हिंसा से इन्कार किया है और 22 प्रतिशत ने कोई उत्तर नहीं दिया है। इससे यह ज्ञात होता है कि मुस्लिम महिलाओं के साथ किसी न किसी रूप में शारीरिक हिंसा होती ह।

तालिका सं० 3–

मुस्लिम महिलाओं के साथ होने वाली मानसिक हिंसा

मानसिक हिंसा की सम्भावना	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
हाँ	113	56.5
नहीं	52	26.0
कोई उत्तर नहीं	35	17.5
योग	200	100

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है 56.5 प्रतिशत मुस्लिम महिलाओं ने माना है, कि उनके साथ मानसिक हिंसा होती है 52 प्रतिशत महिलाओं ने माना है, कि उनके साथ किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती है, जबकि 17.5 प्रतिशत महिलाओं ने कोई उत्तर नही दिया। इससे ज्ञात होता है कि मुस्लिम महिलाओं के साथ मानसिक हिंसा हो रही है।

तालिका संख्या 4–

मुस्लिम महिलाओं के साथ आर्थिक हिंसा की स्थिति

आर्थिक हिंसा की सम्भावना	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
हाँ	123	61.5

नहीं	51	25.5
कोई उत्तर नहीं	26	13.0
योग	200	100

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि 61.5 प्रतिशत मुस्लिम महिलाओं ने माना है कि आर्थिक हिंसा होती है। जबकि 25.5 प्रतिशत महिलाओं ने इस हिंसा से इन्कार किया है और 13 प्रतिशत महिलाओं ने कोई उत्तर नहीं दिया उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि मुस्लिम महिलाओं के साथ आर्थिक हिंसा होती है।

तालिका संख्या 5–

मुस्लिम महिलाओं के साथ होने वाली आध्यात्मिक हिंसा

आध्यात्मिक हिंसा की सम्भावना	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
हाँ	67	33.5
नहीं	92	46.0
कोई उत्तर नहीं	41	20.5
योग	200	100

उपरोक्त तालिका में 33.5 प्रतिशत महिलाओं ने यह माना है कि उनके साथ आध्यात्मिक हिंसा होती है जबकि 46 प्रतिशत महिलाओं ने इस हिंसा से इन्कार किया है। और 20.5 महिलाओं ने कोई उत्तर नहीं दिया है। उपरोक्त विश्लेषण से ज्ञात होता है कि अधिकांश महिलाओं के साथ आध्यात्मिक हिंसा नहीं होती है परंतु फिर भी यह हिंसा कुछ मुस्लिम महिलाओं के साथ होती है।

परिणाम एवं निष्कर्ष :

प्रस्तुत शोध में निरूपित परिकल्पनाओं के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते है –

1. परिकल्पना – 1 जांचने के आधार पर कहा जा सकता है कि मुस्लिम समुदाय में महिलाओं के साथ पारिवारिक हिंसा होती है ।
2. परिकल्पना – 2 जांचने के उपरान्त यह कहा जा सकता है कि मुस्लिम महिलाओं के साथ शारीरिक हिंसा विभिन्न रूपों में होती है ।
3. परिकल्पना – 3 के आधार पर कहा जा सकता है कि मुस्लिम महिलाओं के साथ मानसिक हिंसा होती है
4. परिकल्पना – 4 जांचने के आधार पर कहा जा सकता है कि मुस्लिम महिलाओं के साथ आर्थिक हिंसा होती है।
5. परिकल्पना – 5 के जांचने के आधार पर कहा जा सकता है कि मुस्लिम महिलाओं के साथ आध्यात्मिक / भावनात्मक हिंसा होती है ।

सुझाव :

मुस्लिम समुदाय अत्यधिक रूप से पिछड़ा हुआ है सच्चर कमेटी ने इसे दलितों से भी अधिक पिछड़ा माना था। पारिवारिक हिंसा से उत्पीड़ित मुस्लिम महिलाओं के उपरोक्त निष्कर्ष एवं विश्लेषण के आधार पर निम्नांकित

सुझाव दिए जा सकते हैं जो इस प्रकार हैं –

1. मुस्लिम महिलाओं में भारतीय कानून व इस्लामी शरीयत के प्रति जागरूकता फैलानी होगी, जिससे वे अपने अधिकार व स्थिति को पहचान सके।
2. मुस्लिम समुदाय में साक्षरता दर में वृद्वि हेतु शिक्षा के प्रचार प्रसार पर बल दिया जाना चाहिए ।
3. आर्थिक पिछड़ेपन व बेरोजगारी को दूर करने के लिए मुस्लिम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए।
4. महिला कल्याण एवं महिला सशक्तिकरण की योजनाओं का प्रचार व प्रसार मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में किया जाना चाहिए और अधिक संख्या में इसमें मुस्लिम महिलाओं को जोडना चाहिए।
5. मुस्लिम क्षेत्रों में परामर्श केंद्रो की स्थापना की जानी चाहिए जहां पर पारिवारिक कलह से संबंधित परामर्श दिया जा सके और पारिवारिक समस्याओं का निस्तारण किया जा सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. अडवाणी, पी (1996)" क्राइम इन मैरिज" गोपसी पब्लिशर्स, मुम्बई।
2. अशरफ, नेहाल (1997) "क्राइम अगेंस्ट विमेन"कममवेल्थ पब्लिशर, नई दिल्ली।
3. अय्यूब, इस्लाही (2006)"पर्व और इस्लाम"मरकजी मकताबा इस्लामी, नई दिल्ली।
4. अजीज, अहमद (1994) "स्टडीज इस्लामिक कल्चर इन इंडिया" इन्वायरमेंट ऑक्सफोर्ड ।
5. बी०बी०एम० फातिमा (1999) "विमेन लॉ एण्ड सोशल चेंज" आशीष पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली ।
6. भांति, राज (1995–96) "परिवार परामर्श " हिमांशु पब्लिकेशन, उदयपुर ।
7. गुप्ता, कमलेश कुमार (2009) "भारतीय महिलाएं" बुक एंकलेव, जयपुर ।
8. गुप्ता, डॉ० सुभाष चंद्र एण्ड सक्सेना (2011)"पारिवारिक प्रताड़ना एवं महिलाएं" राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली ।
9. हसन, जोया (2003)"मुस्लिम महिलाओं की बदहाली का कारण धर्म नहीं आर्थिक" हंस पत्रिका,नई दिल्ली।
10. ज़ैनुल आब्दीन (2007)"इस्लाम और समाज" भारतीय शिक्षा निदेशालय दिल्ली ।
11. दलाल, के एण्ड लिंडिक्विस्ट (2010) "ऐ नेशनल स्टडी ऑफ द प्रिविलेंस एण्ड कोरिलेट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस आमंग विमेन इन इंडिया" एशिया पेसोफिक जर्नल ऑफ पब्लिक वेल्थ, http://journals.sagepub.com/doi.org/10.1177/1010539510384499
12. गुप्ता एण्ड गुप्ता (2012), द रिस्क फैक्टर ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इन इंडिया" द इंडियन जर्नल ऑफकम्यूनिटी मेडिसिन http://www.ncbi.nim.nih.gov/pme/articles/PMe3483507/